



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब० / ११८४/२०२४ दिनांक : २०/०२/२०२४

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त (बी०ए८० पाठ्यक्रम संचालित) महाविद्यालय,
सम्बद्ध डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय : बी०ए८० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत छात्राध्यापक / छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० के पत्र संख्या एम०जी०-९८/९९१/२०२३-२४ दिनांक ०४.०९.२०२३ तत्कर्म में शिक्षा निदेशक (उ.शि.) शिक्षा डिग्री विकास उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र संख्या : डिग्री विकास/४८६०३/२०२३-२४ दिनांक २१/०९/२०२३ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि बी०ए८० प्रशिक्षण संस्थानों में छात्राध्यापक / छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बी०ए८० संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु भारत स्काउट एवं गाइड, उ०प्र० द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अपने स्तर पर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। बी०ए८० प्रेक्टिकल के समय छात्र / छात्राओं का स्काउट / गाइड का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से देखा जायेगा।

➤ नोट : शिविर आयोजन से सम्बन्धी किसी भी जानकारी हेतु निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क करें।

1. प्रो० अनीता रानी (8218106372)

जिला प्रशिक्षण आयुक्त रेंजर (डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)
श्रीमती बी०डी० जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा।

2. श्री विशाल कुमार (7533959909)

जिला प्रशिक्षण आयुक्त रोवर (डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- प्रो० एस० पी० सिंह, प्राचार्य, सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा एवं मुख्यायुक्त, रोवर्स एण्ड रेंजर्स, विश्वविद्यालय जनपद।
- उप कुलसचिव, सम्बद्धन को समस्त बी०ए८० महाविद्यालयों के लॉगिन में इस पत्र को अपलोड कराने हेतु।
- अधीक्षक, कुलपति सचिवालय को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- अभिलेख खण्ड।

कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
शिक्षा डिग्री विकास
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1. कुलसचिव
सारगत राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ0प्र0।
3. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
उ0प्र0।

पत्रांक—डिग्री विकास/ 48603 /2023–24 दिनांक— 21/09/2023

विषय— विश्वविद्यालय/बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के पत्र संख्या—एस0जी0—98/2023—24 दिनांक—04.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विश्वविद्यालय/बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त बी0एड0 संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश का अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—उक्तवत्।

भवदीय

21/09/23

डॉ(अपणी मिश्रा)

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा

कृते—शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा

उ0प्र0, प्रयागराज।

पृष्ठांकन—डिग्री विकास/ 48603-606 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि— डा0 प्रभात कुमार, प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड उ0प्र0, स्काउट भवन गोला मार्केट, लखनऊ—226006।

21/09/23

डॉ(अपणी मिश्रा)

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा

कृते—शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा

उ0प्र0, प्रयागराज।

O/c



भारत स्काउट एण्ड गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट मवन, गोता मॉकेट, मुड़ानगर, लखनऊ - 226006

फोन: 0522-2332928, मोबाइल: 9839392277

E-mail: upscoutsguides@yahoo.com, Website: www.bsgup.org



पत्रांक संख्या - एस0जी0-98 / 991 / 2023-24

दिनांक 04 सितम्बर, 2023

प्रेषक,

प्रादेशिक मुख्यायुक्त,
भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0
सेवा में,

निदेशक (उ0शि0)
उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0
प्रयागराज।

१३/१३/२०२३
०५/०९/२०२३

विषय: विश्वविद्यालय / बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक / छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि चरित्र निर्माण, अनुशासन एवं सुयोग्य नागरिकता के प्रशिक्षण के एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में स्काउटिंग / गाइडिंग के प्रशिक्षण का एक विशिष्ट स्थान है।

इस आलोक में प्रदेश के समस्त बी0एड0 संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के नाम से प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु आपके स्तर से समय-समय पर निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।

इस अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पत्रांक-एस0जी0-98 / 281 / 2023-24 दिनांक 01.05.2023 निर्गत करते हुए प्रतिलिपि आपकी सेवा में प्रेषित की गयी है।

आपके स्तर से निर्देशों का प्रसारण प्रदेश के विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त बी0एड0 संस्थानों के लिए अभी तक न हो पाने के कारण प्रशिक्षण का कार्य सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि समस्त कुल सचिव/अधिष्ठाता शिक्षा संकाय/बी0एड0 संस्थानों में अनिवार्य रूप से स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही साथ कुल सचिव / अधिष्ठाता शिक्षा संकाय को नोडल अधिकारी के रूप में नेतृत्व करते हुए भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के माध्यम से ही यह प्रशिक्षण आयोजित कराए जाने हेतु अनुरोध किया जाय। सुलभ सन्दर्भ हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-एस0जी0-98 / 281 / 2023-24 दिनांक 01.05.2023 की प्रति संलग्न की जा रही है।

भवदीय,

४

(डॉ. प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- समस्त कुल सचिव राज्य विश्व विद्यालय, उ0प्र0।
- कुल सचिव / अधिष्ठाता शिक्षा संकाय (डीन एजूकेशन फैकल्टी) समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
- प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
- प्रादेशिक संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
- समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।

४

(डॉ. प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0



bsgup



twitter.com/bsgup



facebook.com/bsgup.org



instagram.com/bsgup/



स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स वर्ष 2023-24 (बी0एड0 / डी0एल0एड0) के आयोजन हेतु दिशा निर्देश :-

1. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स बी0एड0 / डी0एल0एड0 प्रशिक्षकार्थियों हेतु निर्धारित है।
2. बी0एड0 डी0एल0एड0 शिविरों में एल0ओ0सी0 एवं स्टाफ की नियुक्ति निम्नानुसार होगी:-
 - (1)-एल0ओ0सी0 एल0टी0, १०एल0टी0 अथवा हिमालय बुडबैज।
 - (2)-सहायक स्टाफ (स्का० विंग) - एडवांस कोर्स / जिला संगठन कमिशनर्स / जिला प्रशिक्षण कमिशनर्स / काउन्सलर्स।
 - (3)-सहायक स्टाफ (स्का० विंग) - एडवांस कोर्स / जिला संगठन कमिशनर्स / जिला प्रशिक्षण कमिशनर्स / काउन्सलर्स।
3. बी0एड0 / डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने का दायित्व सहायक प्रादेशिक संगठन कमिशनर(स्का०/गा०) का होगा। सहायक प्रादेशिक संगठन कमिशनर(स्का०/गा०) मण्डल के सम्बन्धित जनपदों से प्रशिक्षक नियुक्त करने में जिला सचिव एवं जिला प्रशिक्षण कमिशनर(स्काउट/गाइड) का सहयोग प्राप्त करेंगे।
4. बी0एड0 / डी0एल0एड0 शिविर में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की सूची एकलूपता की दृष्टि से प्रादेशिक मुख्यालय को संलग्न प्रारूप के अनुसार अनिवार्य रूप से ऑन लाइन प्राप्त करायी जाय। इसी के आधार पर प्रादेशिक मुख्यालय से आन लाइन प्रमाणपत्र निर्गत होंगे।
5. प्रत्येक बी0एड0 / डी0एल0एड0 शिविरों का जनपदीय एवं प्रादेशिक अंश जिला एवं प्रदेश कोष में जमा करने का शतप्रतिशत दायित्व सम्बन्धित मण्डल के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) का होगा। यदि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता या नियमों की अद्यतना पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सहायक प्रादेशिक संगठन कमिशनर (स्काउट / गाइड) का होगा।
6. शुल्क एवं सूची प्रादेशिक मुख्यालय में प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम ०५ कार्यदिवस के भीतर प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रमाणपत्र जिला संरक्षण / सम्बन्धित संस्था को अनिवार्य रूप से आनलाइन ही प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रत्येक कोर्स में न्यूनतम दो प्रशिक्षक (एक महिला एक पुरुष) और अधिकतम ०५ प्रशिक्षक (महिला प्रशिक्षक / पुरुष प्रशिक्षक का अनुपात संस्था के प्रतिभागी संख्या के आधार पर) ही नियुक्त होंगे।
8. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु सम्पादित ५ दिन की होगी।
9. कोर्स में प्रतिभागी संरक्षण के गणवेश में ही प्रतिभाग करेंगे।
10. केवल स्कार्फ एवं घागेल शिविर अवधि में पहनना अनिवार्य होगा, जो भारत स्काउट और गाइड, प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
11. प्रशिक्षण शिविरों की अनुमन्यता का कार्य सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र अर्थात् जुलाई से जून की अवधि में किये जायेंगे। शत प्रतिशत सफलता के लिए प्रत्येक तीन माह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य किया जायेगा जो निम्नवत् होगा:-
 - (क) -जुलाई से सितम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का २५ प्रतिशत।
 - (ख) -अक्टूबर से दिसम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का ३५ प्रतिशत।
 - (ग) -जनवरी से मार्च तक सम्पूर्ण संस्थान की संख्या का २० प्रतिशत।
 - (घ) -अप्रैल से जून तक सम्पूर्ण संस्थान की संख्या का २० प्रतिशत।
12. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु निम्नविवरणानुसार शुल्क लिया जायेगा और व्यय किया जायेगा-
-शिविर शुल्क रु०-१०००/-प्रति प्रतिभागी (जिसका विवरण निम्नवत् होगा):-
अ-प्रदेश अंश - रु०-३५०/-प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
रु०-५०/-प्रति प्रतिभागी वैलफेर फण्ड हेतु संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
ब-जिला अंश - रु०-१५०/-प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे जिले के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
स-संस्थान अंश-रु०-४५०/-प्रति प्रतिभागी, जिसमें से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जायेगा:-
 - (अ)-लीडर ट्रेनर - रु०-६००/प्रति दिन।
 - (ब)-सहायक लीडर ट्रेनर - रु०-५५०/प्रति दिन।
 - (स)-हिमालय बुडबैज होल्डर-रु०-५००/प्रति दिन।
 - (द)-एडवांस कोर्स - रु०-४००/प्रति दिन।
 - (य)-मार्ग व्यय - रु०-१००/प्रति दिन की दर से।
 - (र)-प्रशिक्षक अवधि में प्रशिक्षकों के आवश्यक आतिथ्य सत्कार का दायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।

13. प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को प्रावेशिक संस्था का संस्थागत सदस्य बनाये जाने के लिए प्रति संस्थान ₹0-5,000/- (कंवल एक बार) के साथ आयोजन पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। शिविर अनुमन्यता एवं प्रशिक्षक नियुक्ति के समय इस विन्दु का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
14. सत्र 2023-24 में 01 अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ होने वाले ₹10एड० / ₹१०एल०एड० शिविरों के प्रमाणपत्र सहित समर्त कार्यवाही आनलाइन ही सम्पन्न होगी।
15. ₹१०एल०एड० शिविरों हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
16. ₹१०एल०एड०(₹१०एड०) शिविरों के लिए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा सकाय (डॉन एजूकेशन फैकेल्टी)/कुल सचिव या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
17. मण्डलीय सहायक प्रावेशिक संगठन आयुक्तगण विन्दु 15 एवं 16 में वर्षित नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग से शत् प्रतिशत् उपलब्धि के लिए कार्य करेंगे।

पाठ्यक्रम -(₹१०एल०एड० / ₹१०एड० ₹१०पी०एड० / ₹१०पी०एड०)

1. स्काउटिंग गाइडिंग के आधारभूत तत्व।
2. स्काउटिंग गाइडिंग की उत्पत्ति एवं प्रसार।
3. स्काउटिंग गाइडिंग की विभिन्न शाखाएँ।
4. कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड रोवर/रेजर के यिकास के कार्यक्रम।
5. यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
6. गॉर्ट एवं बच्चन (द्वितीय सोपान तक)
7. ध्वज शिष्टाचार(कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड/रोवर/रेजर पृथक पृथक)
8. दर्दी, स्माइनेस, गुड आईर एवं संकेत।
9. दिशा ज्ञान, खोज के चिन्ह, अनुमान लगाना।
10. कैम्पिंग एवं हाइकिंग।
11. समारोह एवं प्रदर्शन।
12. विभिन्न प्रकार के अलकरण/पुरस्कार।
13. अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ जैसे—मैसेन्जर्स आफ पीस, सर्फरस्माट, फीबीइंग मी, आदि।
14. प्राथमिकता सहायता।

भारत स्काउट और गाइड उ०प्र०

प्रादेशिक मुख्यालय गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ
बी०ए०/डी०ए०ए० प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

मण्डल

जनपद

महाविद्यालय/संस्थान का नाम एम्यूलि.ए०:

शिविर की तिथियाँ से तक

प्रतिभागी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं कुल योग

कोर्स स्टाफ का विवरण (स्काउट विंग)

क्रम	नाम प्रशिक्षक	पद/दायित्व	स्काउटिंग में योग्यता	मो०न०
1		शिविर सचालक		
2		सहायक		

कोर्स स्टाफ का विवरण (गाइड विंग)

क्रम	नाम प्रशिक्षिका	पद/दायित्व	गाइडिंग में योग्यता	मो०न०
1		शिविर सचालिका		
2		सहायिका		

बी०ए०/डी०ए०ए० प्रशिक्षण शुल्क भुगतान हेतु निर्देश :-

- महाविद्यालय को केवल रु०-५५०/प्रति छात्र प्रशिक्षण शुल्क देना है, जिसमें से ३५०/- एवं रु० ५०/- कुल रु० ४००/-प्रति छात्र/छात्रा प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड.उ०प्र० के नाम ड्राफ्ट/आर०टी०जी०ए०स० के माध्यम से तथा रु०-१५०/-प्रति छात्र/छात्रा जिला संस्था के नाम चेक/ड्राफ्ट/आर०टी०जी०ए०स० के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।
- प्रादेशिक मुख्यालय को देय धनराशि प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड.उ०प्र०, लखनऊ के नाम से बैंक ड्राफ्ट या आर०टी०जी०ए०स०/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से प्रदेश के खाते में निम्नानुसार भेजी जाय:-

खाते का नाम : प्रादेशिक सचिव.उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड
 खाता संख्या : 10122401342
 बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक
 शाखा का नाम : जवाहर भवन, लखनऊ
 आईएफ०ए० कोड : SBIN0006144

3. पाँच दिवसीय शिविर अवधि में प्रशिक्षकों के जलपान/भोजन/मानदेय की व्यवस्था महाविद्यालय/
संस्थान द्वारा की जायेगी।

जिला संस्था की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अंश रु० (शब्दों में) बैंक
झाफट या आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक को जिला संस्था के कोष
में प्राप्त हो गया है। महाविद्यालय के पक्ष में जिला संस्था की रसीद सं० दिनांक निर्गत
की गई।

ह० जिला सचिव

नाम :-

मुहर

प्रादेशिक संस्था के प्रयोगार्थ :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रदेश अंश रु० (शब्दों में) बैंक
झाफट या आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक को प्रादेशिक संस्था के
खाते में जमा किया गया। महाविद्यालय/जिला संस्था के पक्ष में रसीद सं० दि० निर्गत की
गई।

लेखाकार,
भारत स्काउट और गाइड, ड०प्र०

५.

॥ १५६७८/क० १०५३०५२० प्राशनपा शापै म भगवत्प्राप्तायथा का शुभा

स्कॉर्ट विभाग - (छात्राध्यापक)

३८

मुहर
मा०न०
हे मेल

उन्हें फारमेंट की माफ़ा करायी गयी थी। विवरणहॉटल www.bsgup.org में हाउसलोड वर्कर यानी है-

३०८

मुहर
मा०न०
हे० मेल

ह० शिविर संचालक

मुहर
मा०न०
इ० मेल

ବୀରପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

गाइड विभाग - (छात्राध्यापिका)

गाइड विभाग - (छात्राळ्यापका)	
प्रतिशारी विवरण :-	क्रम सं.
पिता का नाम	नाम
ई मेल आईडी।	मोबाइल नं।

३० विभागात्मक

त्रिलोक

五百三

मांनं

३०

नाम

२३४

મોદન હાઇસ્કુલ
એન્ડ મેલ

ह० शिविर संचालक

नाम

五百三

માંનાં
હેઠળ